

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक-3115 / 11-सी-FP/UP/Others/49462/2020, लखनऊ, दिनांक: मार्च 3 / ,2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- जनपद आगरा में यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) आगरा द्वारा
बॉईपुर एवं शहर रेंज के अन्तर्गत डी०एस०टी०पी० के निर्माण हेतु बॉईपुर वन ब्लाक, बाबरपुर
वन ब्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर
वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं० FP/UP/Others/49462/2020)

सन्दर्भ: उ०प्र० शासन की पत्र सं०-पी-53/81-2-2023-800(30)/2023, दिनांक-29.03.2023
महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के
द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा ने अपने पत्रांक-4168/14-1, दि० 21.02.2023 द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किया गया
है।

अतः वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा द्वारा प्रेषित की गयी आपत्ति का निराकरण सम्बन्धी अभिलेख
दो प्रतियों सहित इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर
कार्यवाही करने की कृपा करें।


संलग्नक-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,



(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

 उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-3115 / 11-सी FP/UP/Others/49462/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, आगरा।
- 3- परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र०, जल निगम ग्रामीण आगरा।



(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

 उ०प्र०, लखनऊ।

